

परिशिष्ट -1

(संदर्भ: उत्तराखण्ड का विवरण, पृष्ठ 1)

क्रम संख्या	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	*गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल) (अखिल भारतीय औसत = 27.5 प्रतिशत)		39.60 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	71.60 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	79.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु** (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 50 प्रति 1000 जीवित जन्म)		41
7	जिनी को-इफिसियेन्ट***		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.28
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.32
8	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2010-11)		16.65 प्रतिशत
9	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2010-11)		20.98 प्रतिशत

* सामान्य आँकड़ों का स्रोत: बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एन.एस.एस.ओ. आँकड़े, 61 चक्र।

**शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस. बुलेटिन जनवरी 2011), वित्तीय आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।

***जिनी को-इफिसियेन्ट (योजना आयोग तथा एन.एस.एस.ओ. आँकड़ों के अनौपचारिक आकलन, 61 चक्र 2004-05 एम.आर.पी.)।

जिनी को-इफिसियेन्ट जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक हैं, शून्य के समीप असमानता कम हैं; एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.1; पृष्ठ 4)

भाग अ: शासकीय लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जारिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेंगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित ‘राज्य की समेकित निधि’ नाम से जाना जाता है।

भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल के स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उच्चांत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1.1-क्रमशः

भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड 1	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि में व्यय का विवरण। कार्य एवं प्रकृति से लेखा टिप्पणी परिशिष्ट I: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
खण्ड 2	
भाग -I	
विवरण संख्या- 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियां तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रतिभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत् तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
भाग -II	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-15	उधारियां तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	बैमित्रिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।
भाग -III	
परिशिष्ट	
II	वेतन का तुलनात्मक व्यय।
III	उपादान का तुलनात्मक व्यय।
IV	सहायतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय(केन्द्रीय एवं राज्य योजनागत योजनाएँ)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

परिशिष्ट - 1.2

भाग अ

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5.1; पृष्ठ 18)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आंकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित हैं। (परिशिष्ट- 1.2 का भाग ब)। वचनबद्धताएं/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेतर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी एस डी पी द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आंकड़ों हेतु उत्पादकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणन किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, जी एस डी पी के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु जी एस डी पी की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई हैं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ

	2006-07	2007-08	2008-09*	2009-10*	2010-11*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	32,260	38,015	42,835	47,808	52,143
जी एस डी पी की वृद्धि दर	14.12	17.84	12.68	11.61	9.07
स्रोत: निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड					

* अन्तिम आगणन *त्वरित आगणन *अग्रिम आगणन

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय-जी एस डी पी और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

कुल व्यय/जी एस डी पी = एक्स

कुल व्यय=एक्स*जी एस डी पी(1)

जहाँ एक्स, कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय-जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

वि व्यय/कु व्यय = वाई

वि व्यय = वाई* कु व्यय(2)

जहाँ वाई, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

वि व्यय = वाई*एक्स*जी एस डी पी(3)

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम थे, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

प्र व्य वि व्यय = वि व्यय/ज.....(4)

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

प्र व्य वि व्यय = (वाई*एक्स*जी एस डी पी)/ज(5)

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती हैं।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल(एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राज्य द्वारा भुगतान औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व) 2]*100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य धरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(आदि शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष) 2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाया समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय जिसमें मुख्य शेष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तरा 1.10; पृष्ठ 32)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अङ्गताओं को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;

(ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 प्रतिशत रखेगी।

(ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जो एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत व 37.20 प्रतिशत से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;

(घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे

(च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं

(छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	आगणन आधार वर्ष 2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ए. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	2,738.77	3,044.98	3559.11	4326.37	4759.74	5521.30	6404.71
2. स्वयं का करेतर राजस्व	668.38	699.36	631.86	1115.00	1647.11	1414.88	1488.07
3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)	3,407.15	3744.34	4190.97	5441.37	6406.85	6936.18	7892.78
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	1,427.68	1506.52	1549.94	2460.00	2955.31	3309.95	3707.14
5. आयोजनागत अनुदान	1,721.07	2114.36	2595.96	3864.45	4567.49	5024.24	5526.66
6. आयोजनेतर अनुदान	1,335.20	1269.67	1149.26	1574.77	705.34	710.00	435.00
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	4,483.94	4890.55	5295.16	7899.22	8228.14	9044.19	9668.80
8. कुल राजस्व प्राप्तियां (3+7)	7,891.09	8,634.89	9,486.13	13,340.59	14,634.99	15,980.36	17,561.58
9. आयोजनागत व्यय	1,833.86	4192.40	3810.16	5681.63	6564.29	7220.72	7942.79
10. आयोजनेतर व्यय	5,420.70	7372.25	10,386.79	11,233.12	12,802.62	14,082.88	15,209.51
11. वेतन व्यय	2,472.33	3349.91	4811.21	5376.69	5670.25	6237.28	6861.00
12. पेंशन	622.87	828.25	1304.65	1042.80	1414.95	1584.74	1774.91
13. ब्याज भुगतान	1,095.93	1,187.51	1,510.91	1,528.12	1,812.03	2,003.79	2,186.72
14. उपादान-सामान्य	-						
15. उपादान-विद्युत	-						
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	7,254.56	8,395.36	10,657.47	12,772.02	14,325.70	15,758.27	17,097.72
17. वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	4,191.13	5,365.67	7,626.77	7,947.61	8,897.23	9,825.81	10,822.64
18. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (17/8)	53.11	62.14	80.40	59.57	60.79	61.49	61.63
19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	-636.53	239.53	-1171.34	568.57	309.29	222.09	463.86
बी. समेकित राजस्व लेखा:							
1. विद्युत के क्षेत्र में	-	-	-	-	-	-	-

हानि/वास्तविक उपादान अन्तरण के निवल लाभ							
2. वर्ष के दौरान विद्युत उपयोगिता लेखा में बकायेदारों की वृद्धि (वृद्धि (-))	-	-	-	-	-	-	-
3. आयव्ययक ऋण और पी एस यूज और एस पी यूज द्वारा लिये गये आयव्ययक ऋण पर ब्याज भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
4. योग (1 से 3)	-636.53	239.53	-1171.34	568.57	309.29	222.09	463.86
सी. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	13,037.46	14,443.35	17,029.45	19,438.06	21,720.33	24,956.02	28,081.44
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियां	1,676.60	1,676.60	1,801.60	1,652.76	1,510.99	1,510.99	1,510.99
ए) बजटकृत तथा एस पी वी ऋण हेतु प्रत्याभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
डी. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	2,234.82	2,016.30	2,136.74	2,200.34	3,094.58	3,404.04	3,574.24
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	212.54	121.77	30.06	642.75	307.91	128.70	90.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	68.40	53.58	554.83	246.38	474.96	74.96	74.96
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	1,225.68	1,417.20	1,613.11	2,408.24	2,431.00	3,235.69	3,125.42
ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	-1,742.40	1,844.96	2,783.31	2,028.14	2,618.24	3,235.69	3,125.42
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	35,591.75	40,159.26	63,352.18	73,294.13	82,309.31	92,680.28	1,04,358.0 0
एफ. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान लौ गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.42	12.83	19.27	15.69	12.30	12.60	12.60

परिशिष्ट -1.3

(संदर्भः प्रस्तर 1.3, 1.7.2 एवं 1.8; पृष्ठ 8, 25 एवं 27)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
भाग अ. प्रासियां					
1. राजस्व प्रासियां	7,373	7,891	8,635	9,486	11,608
(i) कर राजस्व	2,513(35)	2,739(35)	3,045(35)	3,559(38)	4,405(38)
कृषि आय पर कर	-	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,361(54)	1,628(59)	1,911(63)	2,247(63)	2,940(67)
राज्य आबकारी	373(15)	442(16)	528(17)	705(20)	756(17)
वाहनों पर कर	141(6)	155(6)	167(5)	184(5)	227(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	546(21)	424 (15)	357(12)	399(11)	440(10)
भू-राजस्व	15(1)	23(1)	18(1)	9(0.25)	18(0.41)
माल एवं यात्रियों पर कर			6(-)	-	-
अन्य कर	77(3)		58(2)	15(0.42)	24(0.54)
(ii) करेतर राजस्व	647(9)	668(8)	699(8)	632 (7)	678(6)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	1,132(15)	1,428(18)	1,507(18)	1,550(16)	2,460(21)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,081(42)	3,056(38)	3,384(39)	3,745(39)	4,065(35)
2. विविध पूँजीगत प्रासियां	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	20	68	54	65	85
4. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूँजीगत प्रासियां (1+2+3)	7,393	7,959	8,689	9,551	11,693
5. लोक ऋण प्रासियां	1,228	1,398	1,544	1,682	2,427
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,208(98)	1,210(87)	1,399(91)	1,582(94)	2,384(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	172(12)	127(8)	69(4)	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	20(2)	16(1)	18(1)	319(2)	43(2)
6. समेकित निधि में कुल प्रासियां(4+5)	8,621	9,357	10,233	11,233	14,120
7. आकस्मिकता निधि प्रासियां	34	27	2	37	582
8. लोक लेखा प्रासियां	11,234	12,412	13,658	14,226	18,829
9. राज्य की कुल प्रासियां (6+7+8)	19,855	21,769	23,891	25,459	33,531
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	6,477	7,255	8,394	10,657	11,621
आयोजनागत	1,577(24)	1,834(25)	2,174(26)	2,299(22)	2,472(21)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आयोजनेतर	4,900(76)	5,421(75)	6,220(74)	8,358(78)	9,149(79)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	2,378(37)	2,655(37)	3,104(37)	3,694(35)	4,180(36)
सामाजिक सेवायें	2,455(38)	2,829(39)	3,392(41)	4,980(47)	5,169(44)
आर्थिक सेवायें	1,373(21)	1,461(20)	1,623(19)	1,658(16)	1,864(16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	271(4)	310(4)	275(3)	325(3)	408(4)
11. पूँजीगत व्यय	1699	2235	2016	1647	1,855
आयोजनागत	1,602(94)	2,157(97)	1,902(94)	995(60)	1,859(100)
आयोजनेतर	97(6)	78(3)	114(6)	651(40)	(-) 4
सामान्य सेवायें	173(10)	201(9)	174(9)	109(7)	105(5)
सामाजिक सेवायें	372(22)	418(19)	281(14)	109(7)	235(13)
आर्थिक सेवायें	1,154(68)	1,616(72)	1,561(77)	1,429(87)	1,515(82)
12. क्रृष्ण एवं अग्रिमों का संवितरण	102	213	122	30	60
13. योग (10+11+12)	8,278	9,703	10,532	12,334	13,536
14. लोक क्रृष्ण की पुनर्भुगतान	237	273	355	473	519
आन्तरिक क्रृष्ण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	208(88)	240(88)	318	437	448
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	...	--			45
भारत सरकार से क्रृष्ण एवं अग्रिम	29(12)	33(12)	37	36	26
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	--		-	515
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	8,515	9,976	10,887	12,807	14,570
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	25	1	32	71	537
18. लोक लेखा संवितरण	11,227	11,864	13,477	12,322	17,733
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	19,767	21,841	24,396	25,200	32,840
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 896	(+) 636	(+) 241	(-) 1,171	(-) 13
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	885	1,744	1,843	2,783	1,843
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+) 79	(-) 648	(-) 655	(-) 1,445	(-) 363
भाग द. अन्य ऑकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	964	1,096	1,188	1,338	1,480
24. राजस्व बकाया (कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	284(9)	610(18)	759(20)	730(17)	1250(11)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	271	310	275	324	408
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का लाभ प्राप्त (दिवस)	114	52	83	107/09	93
27. अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज/ओवरड्राफ्ट	1.24	0.66	3	2	1
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) ^(a)	32,260	38,015	42,835	47,808	52,143
29. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	13,034	14,392	16,276	18,748	21,598
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	1,716	1,677	1,802	1,511	1,511
31. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	1,723	1,738	1,677	1,386	2,122
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	169	367	382	140	89
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	271	487	539	2,081	63
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/जी एस डी पी	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
स्वयं का करेतर राजस्व /जी एस डी पी	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/जी एस डी पी	0.04	0.04	0.38	0.03	0.13
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/जी एस डी पी	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियां	1.12	1.23	1.22	1.30	1.17
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.78	0.75	0.80	0.86	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.33	0.35	0.41	0.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.31	0.32	0.30	0.25	0.14
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.21	0.23	0.19	0.13	0.14
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.18	0.21	0.17	0.12	0.13
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/जी एस डी पी	(+)0.029	(+)0.018	(+)0.006	(-) 0.025	*
राजकोषीय घाटा/जी एस डी पी	0.028	0.049	0.046	0.059	0.035
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /जी एस डी पी	(+) 0.003	0.018	0.016	0.031	0.007
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(+)1.012	(+)0.365	(+)0.131	0.420	0.007
प्राथमिक राजस्व शेष/जी एस डी पी	0.176	0.173	0.179	0.199	0.194

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी एस डी पी	0.415	0.404	0.405	0.399	0.414
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.78	1.82	1.88	1.98	1.86
मात्रात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	(+) 1,033	(+) 347	(+) 172	(-) 1,113	11
ऋण छूट (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.90	0.94	0.95	0.95	0.83
V अन्य राजकोषीय सुदृढता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.16	0.53	0.23	0.07	0.21
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(+) 978	(+) 842	(+) 357	(-) 1,384	(-) 46
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.64	0.71	0.76	0.82	0.77

कोषकों के आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित जी एस डी पी के आंकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1, 1.7.1 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 25 एवं 25)

भाग 3:

वर्ष 2010-11 के लिए प्रासियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹करोड़ में)					(₹करोड़ में)				
प्रासियाँ					संवितरण				
2009-10		2010-11			2009-10		2010-11		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
खण्ड-आ राजस्व									
	9,486.13	I-राजस्व प्रासियाँ		11,608.16	10,657.47	I-राजस्व व्यय			
3,559.04		(i) कर राजस्व	4,405.47		3,694.34	सामान्य सेवायें	4159.52	20.63	4180.15
631.86		(ii) करेतर राजस्व	678.06		4,980.28	सामाजिक सेवायें	3445.70	1723.79	5169.49
1,550.01		(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	2,460.07		2,951.20	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2597.32	579.85	3177.17
1,182.95		(iv) आयोजनेतर अनुदान	1,435.20		480.02	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	397.36	217.75	615.11
2,334.66		(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,252.56		890.59	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	62.06	449.64	511.70
227.61		(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोगतिधारित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	376.80		21.0	सूचना एवं प्रसारण	36.40	1.00	37.40
					136.21	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	64.11	102.57	166.68
--					42.97	श्रम तथा श्रमिक कल्याण	38.81	16.94	55.75
					439.81	समाज कल्याण एवं पोषण	236.22	340.03	576.25
					18.48	अन्य	13.42	16.01	29.43
					1,658.12	आर्थिक सेवायें	1135.68	728.07	1863.75
					769.85	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	550.19	339.71	889.90
					378.52	ग्राम्य विकास	146.46	308.60	455.06
					-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	
					255.15	सिंचाई एवं वाढ़ नियन्त्रण	277.98	14.30	292.28
					16.35	ऊर्जा	4.02	7.37	11.39
					32.56	उद्योग एवं खनिज	24.12	17.73	41.85
					171.84	परिवहन	111.78	8.02	119.80
					3.30	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.81	9.34	10.15
					30.54	सामान्य आर्थिक सेवायें	20.32	23.00	43.32
					324.73	सशम्पत्ति अनुदान एवं अंशदान	407.67	0.01	407.68
	9,486.13	योग			10,657.47	योग			
									11,621.07

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)				
प्राप्तियाँ					संवितरण				
2009-10			2010-11		2009-10			2010-11	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1171.34	II-राजस्व घाटा खण्ड-व को अन्तरित		12.91		II- राजस्व अधिशेष खण्ड-व को अन्तरित				-
10657.47	योग			11621.07	10657.47	योग			11621.07
खण्ड - ब पूँजीगत									
242.97	III-स्थायी अधिसम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारिभक रोकड़ अवशेष		538.91		III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारिभक ओबरड्राफ्ट				
	IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	1,646.74	IV- पूँजीगत परिव्यय	-3.68	1,858.52		1854.84
				109.44	सामान्य सेवायें	11.64	93.07	104.71	
				108.60	सामाजिक सेवायें	0.03	235.21	235.24	
				53.05	शिक्षा, फ्रीडा, कला एवं संस्कृति	-	121.37	121.37	
				41.86	स्थान्त्रय एवं परिवार कल्याण	0.03	72.79	72.82	
				5.01	जल आपूर्ति, स्थचक्षता, आवास तथा शहरी विकास	-	27.25	27.25	
				-	सूचना एवं प्रसारण	-	-	-	
				6.17	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	8.37	8.37	
				2.51	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	-	5.44	5.44	
				.0028	अन्य	-	-	-	
				1,428.70	आर्थिक सेवायें	-15.34	1530.23	1514.89	
				72.54	कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	-15.80	35.27	19.47	
				70.61	ग्राम्य विकास	-	91.82	91.82	
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	
				267.11	सिंचाइ एवं बाढ़ नियन्त्रण	-	346.84	346.84	
				661.95	ऊर्जा	-	56.71	56.71	
				(-)482.88	उद्योग एवं खनिज	-	3.15	3.15	
				810.26	परिवहन	0.46	938.92	939.38	
				29.11	सामान्य आर्थिक सेवायें	-	57.52	57.52	
				1,646.74	योग	-3.68	1858.52		1854.84
64.83	V- क्रण एवं अधिसम की वसूलियाँ		84.87	30.06	V- संवितरित क्रण एवं अधिसम				59.68
57.05	विद्युत परियोजनाओं से	76.53		24.32	विद्युत परियोजनाओं के लिए			58.27	
7.42	सरकारी कर्मचारियाँ से	6.53		1.3	सरकारी कर्मचारियाँ को			1.05	
36	अन्य से	1.81		4.44	अन्य को			0.36	

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)							(₹ करोड़ में)			
प्रासियाँ				संवितरण						
2009-10		2010-11		2009-10			2010-11			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	11.
	-	VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	--	-	1171.34	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया				12.91
1,682.57		VII- लोक ऋण प्रासियाँ		2,427.18	472.87	VII- लोक ऋण की पुनर्भुगतान				519.36
1,581.77		अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	2384.24		436.48	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण			447.86	
69.46		ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन			44.89	
31.34		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	42.94		36.39	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम की पुनर्भुगतान			26.61	
-		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	-			VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग				515.00
37.05		IX-आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		5,81.62	71.42	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय				536.71
14,225.75		X-लोक लेखा प्रासियाँ		18,703.51	12,321.83	X- लोक लेखा संवितरण				17608.20
1,421.80		लघु बचत एवं भविष्य निधि	1372.66		355.78	लघु बचत एवं भविष्य निधि			502.93	
51.71		आरक्षित निधियां	153.10		84.57	आरक्षित निधियां				1.32
2,222.82		जमा एवं अग्रिम	2463.70		1,993.39	जमा एवं अग्रिम				2418.11
9,387.08		उच्चत एवं विविध	11,460.15		8,616.86	उच्चत एवं विविध				11129.03
1,142.34		प्रेषण	3253.90		1,271.23	प्रेषण				3556.81
		XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट			538.91	XI-अन्त में रोकड़ शेष				1229.40
					(-)8.92	कोषागर में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			(-) 5.45	
					(-)2.98	स्थानीय अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			(-)3.02	
					(-)227.84	रिजर्व बैंक में जमा			334.25	
					778.65	रोकड़ शेष का किवेश व नैमित्तिक निधि के विवेश			903.62	
16253.17		योग	22,336.09	16,253.17	16,253.17	योग				22,336.09

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तरा I.1, I.7.1 एवं I.7.2; पृष्ठ 1, 25 एवं 26)

31 मार्च 2011 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 को	दायित्व	31.03.2011 को
13,657.01	आन्तरिक ऋण	15,548.50
6,345.38	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	7,234.92
0.14	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.13
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
6,911.50	अन्य संस्थाओं से ऋण	7,958.35
398.49	अर्थोपाय अग्रिम	353.60
	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	
418.99	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	435.32
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
10.54	आयोजनेतर ऋण	9.25
378.03	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	397.45
0.05	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.04
29.84	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	28.05
0.75	आकस्मिकता निधि	45.65
2,953.45	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,823.17
1,574.21	जमा	1,619.79
923.42	आरक्षित निधियां	1,075.26
-	प्रेषण शेष	-
19,527.83	योग	22,547.69

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2010 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2011 को
11,668.10	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	13,522.94
1,240.39	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,295.97
10,427.71	अन्य पूँजीगत परिव्यय	12,226.97
743.09	ऋण एवं अग्रिम	717.90
388.60	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	370.33
348.04	अन्य विकास ऋण	346.50
6.45	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	1.07
---	आकस्मिकता निधि को विनियोग	515.00
571.43	प्रेषण	874.34
756.49	उचन्त एवं विविध शेष	425.38
538.91	रोकड़	1229.41
(-) 8.92	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	(-) 5.45
(-)227.84	रिजर्व बैंक में जमा	334.25
(-) 2.11	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 2.15
(-)0.87	स्थायी अग्रिम	(-)0.86
778.65	रोकड़ शेष निवेश	903.62
5,249.81	सरकारी लेखों में घाटा	5,262.72
(-)1171.34	(i) चातू वर्ष के राजस्व घाटे को जोड़े (ii) विविध घाटा	12.91
4,078.47	वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	5,249.81
19,527.83	योग	22,547.69

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। परिशिष्ट 1.4 में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य ह्रास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचन्त तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। “रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 289.76 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 6)

2010-11 के दौरान राज्य बजट से बाहरी कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कार्यक्रम/योजना	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राशि
1	स्वायत्त संस्थाएँ व पेशेवर निकाय	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ऐरीज)	53.01
2	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	डी.डब्ल्यू.एस.एम. जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई पौड़ी गढ़वाल	17.08
3	दीनदयाल अपंग पुनर्वास	बजाज इन्स्टीट्यूट ऑफ लर्निंग श्री भरत मन्दिर स्कूल सोसाइटी रैफेल	1.33
4	ग्रिड इन्ट्रेकिट्व रिन्यूएबल पावर	उत्तराखण्ड रीन्यूएबिल एनर्जी डेवलेपमेण्ट ऐजेन्सी आई.आई.टी. रुड़की	5.15
5	अस्पताल व औषधालय (एन. आर. एच. एम. के अन्तर्गत)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	8.06
6	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.)	सी.जी.ओ. निदेशक देहरादून उत्तराखण्ड में डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक	46.63
7	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एस.एण्ड.टी.	जी.बी.पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	1.33
8	औषधीय पादप	वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून, क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान संस्था, सहसपुर देहरादून केन्द्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान	0.85
9	बायोटेक्नालाजी का अनुसंधान एवं विकास विभाग	जी.बी.पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तरांचल बॉस एवं रेशा विकास बोर्ड देहरादून	1.64
10	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियाँ	96.50
11	राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड	एफ.डी.ए. उत्तराखण्ड पर्वतीय वन विकास अभिकरण एस.एस. एफ. विकास अभिकरण बी.एन.एफ. विकास अभिकरण रोहा वन विकास अभिकरण	5.36
12	सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	परिवर्तन विकास संस्थान यू.एस. नगर	9.85
13	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम.पी.लैडस	उपायुक्त	18.00
14	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी.एम.जी.एस.वाई.)	एस.जी.ओ. उत्तराखण्ड देहरादून	240.26

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

15	संरक्षण एवं विकास हेतु शोध एवं विकास	जी.बी.पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तरांचल बाँस एवं रेशा विकास बोर्ड	12.73
16	ऑफ ग्रिड डीआरपीएस	उत्तरांचल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी आई.आई.टी. रुडकी	20.45
17	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	उत्तराखण्ड में डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक	289.81
18	सर्व शिक्षा अभियान(एस.एस.ए.)	उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद	258.83
19	ग्रामीण आवास-आई.ए.वाई.	परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए.	53.21
20	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(एस.जी.एस.वाई)	परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए.	24.43
21	राष्ट्रीय बैम्बू मिशन	उत्तरांचल बाँस एवं रेशा विकास बोर्ड, देहरादून	2.74
22	गन्तव्य स्थलों व सर्किटों के लिए उत्पाद/आधारभूत विकास	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	41.69
23	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आई.आई.टी., रुडकी	33.41
24	पंचायत युवा क्रीड़ा व खेल अभियान		20.90
25	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(रमसा)	उत्तरांचल सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद	76.02
26	असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा	उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	3.67
27	क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम	उत्तराखण्ड पुलिस सोसाइटी का कम्प्यूटरीकरण	21.36
28	स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	15.25
29	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस.डब्ल्यू.एस.एम., उत्तराखण्ड, देहरादून	136.41
30	प्राकृतिक संसाधन व इको सिस्टम संरक्षण	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	3.17
31	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	डी.आर.डी.ए.	10.55
32	वन एवं वन्य जीव संस्थाओं को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान(आई.सी.एफ.आर. एण्ड ए.)	122.10
33	आई.आई.टी., डी.एच.ई.	आई.आई.टी., रुडकी	111.00
34	राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी	10.68
35	राष्ट्रीय संस्थानों के निधीयन हेतु राष्ट्रीय योजना	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान	9.29
36	अन्य		135.41
योग			1,918.16

परिशेष-1.6

(संदर्भः प्रस्तर 1.6.3; पृष्ठ 23)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपकरणों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	उपकरण का नाम	लेखों की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	हासित लागत पर ब्लॉक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य हास	प्रतिलाभ	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (9+10)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुडकी	2009-10	188.81	90.43	6.61	608.22	(-) 0.79	27.76	26.97	31.62
2(अ)	आर एफ सी, हन्दानी	2002-03	-	58.25	6.64	7,112.35	(-)3,164.61	-	(-)3,164.61	-
2(ब)	आर एफ सी, देहरादून	2002-03	-	9.97	1.00	8,357.23	(-)1,350.21	-	(-)1,350.21	

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1 ; पृष्ठ 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		राजस्व-दत्तमत			
1.	01	विधानमण्डल	20.11	3.63	18.05
2.	04	न्याय प्रशासन	98.79	29.91	30.28
3.	05	निर्वाचन	10.67	1.03	9.65
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	396.88	29.52	7.44
5.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1873.22	106.35	5.68
6.	08	आबकारी	9.99	1.25	12.51
7.	10	पुलिस एवं कारागार	629.84	9.25	1.47
8.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3238.49	176.02	5.44
9.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	716.12	124.39	17.37
10.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	847.78	372.80	43.97
11.	14	सूचना	40.59	3.29	8.11
12.	15	कल्याण	465.26	83.72	17.99
13.	16	श्रम एवं रोजगार	72.18	12.08	16.74
14.	17	कृषि कार्य एवं शोध	431.49	82.71	19.17
15.	18	सहकारिता	30.79	4.87	15.82
16.	19	ग्राम्य विकास	462.88	75.22	16.25
17.	22	लोक निर्माण	380.01	34.94	9.19
18.	23	उद्योग	64.29	5.15	8.01
19.	24	परिवहन	21.13	2.52	11.93
20.	25	खाद्य	31.12	7.27	23.36
21.	26	पर्यटन	25.79	2.92	11.32
22.	27	वन	316.17	30.76	9.73
23.	28	पशुपालन	114.41	15.53	13.57
24.	29	उद्यान विकास	88.30	1.61	1.82
25.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	489.21	96.20	19.66
26.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	139.16	44.21	31.77
योग			11014.67	1357.15	12.30

		राजस्व प्रभारित			
1.	01	विधानमण्डल	0.87	0.37	42.53
2.	04	न्याय प्रशासन	28.75	13.49	46.92
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1746.40	140.75	8.06
4.	22	लोक निर्माण	3.97	2.91	73.30
योग			1779.99	157.52	8.85
		पूँजीगत-दत्तमत			
1.	04	न्याय प्रशासन	22.00	3.86	17.55
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	82.66	43.93	53.15
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	67.10	8.78	13.08
4.	10	पुलिस एवं कारागार	20.15	4.12	20.45
5.	11	शिक्षा, क्रीड़ा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	159.60	60.20	37.72
6.	12	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	129.40	62.52	48.32
7.	14	सूचना	0.50	0.50	100.00
8.	15	कल्याण	17.17	13.74	80.02
9.	16	श्रम एवं रोजगार	8.38	1.66	19.81
10.	18	सहकारिता	8.50	7.48	88.00
11.	19	ग्राम्य विकास	71.35	13.20	18.50
12.	21	ऊर्जा	396.34	286.69	72.33
13.	23	उद्योग	14.68	11.54	78.61
14.	24	परिवहन	75.73	8.12	10.72
15.	26	पर्यटन	85.44	29.84	34.93
16.	27	वन	18.00	1.53	8.50
17.	28	पशुपालन	11.07	2.93	26.47
18.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	260.60	118.11	45.32
19.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	89.28	43.64	48.88
योग			1537.95	722.39	46.97
		पूँजीगत-प्रभारित			
1.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1299.63	119.29	9.18
2.	09	लोक सेवा आयोग	6.31	4.29	67.99
3.	22	लोक निर्माण	0.50	0.50	100.00
योग			1306.44	124.08	9.50
महा योग			15639.05	2361.14	15.10

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व(दत्तमत)						
1.	20	सिंचाई एवं बाढ़	283.62	311.24	27.62	9.74
पैंजीगत(दत्तमत)						
2.	17	कृषि कार्य एवं शोध	12.80	43.62	30.82	240.78
3.	22	लोक निर्माण	862.75	888.62	25.87	3.00
4.	25	खाद्य	2.95	1210.09	1207.14	40920.00
5.	29	उच्चान विकास	—	3.00	3.00	100.00
योग			1162.12	2456.57	1294.45	111.38

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भः प्रस्तरा 2.3.7 ; पृष्ठ 40)

ऐसे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामते में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व(दत्तमत)					
1.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1818.59	1766.87	51.72	54.63
2.	08 आबकारी	9.75	8.73	1.02	0.24
3.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	688.07	591.73	96.34	28.05
4.	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	748.11	474.98	273.13	99.67
5.	17 कृषि कार्य एवं शोध	370.65	348.78	21.87	60.85
6.	18 सहकारिता	29.57	25.92	3.65	1.22
7.	19 ग्राम्य विकास	433.40	387.66	45.74	29.48
8.	22 लोक निर्माण	356.17	345.07	11.10	23.84
9.	25 खाय	28.98	23.85	5.13	2.14
10.	27 वन	292.22	285.41	6.81	23.95
11.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	448.01	393.01	55.00	41.19
12.	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	123.70	94.95	28.75	15.46
कुल राजस्व(दत्तमत)		5347.22	4746.96	600.26	380.72
ख - राजस्व(प्रभारित)					
1.	02 राज्यपाल	4.69	4.21	0.48	0.13
2.	04 न्याय प्रशासन	28.40	15.26	13.14	0.35
3.	07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	1715.93	1605.67	110.26	30.47
कुल राजस्व(प्रभारित)		1749.02	1625.14	123.88	30.95
ग- पूँजीगत(दत्तमत)					
1.	04 न्याय प्रशासन	20.00	18.14	1.86	2.00
2.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	110.67	66.89	43.78	18.74
3.	15 कल्याण	5.90	3.44	2.46	11.27
4.	19 ग्राम्य विकास	63.90	58.15	5.75	7.45
5.	21 ऊर्जा	385.65	109.65	276.00	10.69
6.	23 उद्योग	12.81	3.14	9.67	1.87
7.	26 पर्यटन	65.44	55.60	9.84	20.00
8.	28 पशुपालन	9.47	8.14	1.33	1.59
9.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.95	142.49	68.46	49.65
10.	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	73.55	45.64	27.91	15.73
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		958.34	511.28	447.06	138.99
महायोग		8054.58	6883.38	1171.20	550.66

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कार्य एवं शोध (पूँजीगत-दत्तमत)	1.35	11.45	12.80	43.62	30.82
2.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व-दत्तमत)	274.55	9.07	283.62	311.24	27.62
3.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	558.90	303.85	862.75	888.62	25.87
4.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	1.50	1.45	2.95	1210.09	1207.14
योग			836.30	325.82	1162.12	2453.57	1291.45

परिशेष-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ- 41)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/बचत (-)
1.	04	न्याय प्रशासन	2014-00-105-03	(-)756.63	(-)11.16
2.			2014-00-800-01	(-)1235.49	(-)616.47
3.			2014-00-102-03	(-)1375.53	(+)26.85
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2029-00-101-03	(-)85.39	(+)14.98
5.			2029-00-103-03	(-)220.09	(+)16.43
6.			2029-00-800-03	(-)12.37	(+)36.77
7.			2070-00-003-03	(-)58.92	(+)37.43
8.			2070-00-106-03	(-)6.65	(+)174.57
9.			2070-00-104-05	(+)25.68	(-) 19.57
10.			2245-05-800-01	(+)2412.02	(-)801.54
11.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2030-03-001-04	(-)80.64	(-)63.70
12.			2030-03-001-05	(-)105.50	(-)57.05
13.			2040-00-101-03	(-)643.97	(+)239.79
14.			2071-01-115-03	(-)22,27.00	(-)305.99
15.			2071-01-101-03	(+)1,73,06.03	(-)118.00
16.			2030-01-101-03	(-)30.84	(+)51.14
17.			2030-02-102-03	(+)58.81	(-)187.58
18.			3451-00-092-03	(+)46.40	(-)34.45
19.			2047-00-103-03	(-)1,27.79	(+)199.20
20.			2047-00-800-03	(-)10.19	(+)1298.46
21.			4059-80-800-05	(-)163.87	(-)358.28
22.			4216-02-800-03	(+)325.10	(+)633.80
23.	08	आबकारी	2039-00-001-04	(-)112.39	(+)10.58
24.	09	लोक सेवा आयोग	4059-60-051-03	(-)3,36.87	(-)92.01
25.	10	पुलिस एवं कारगार	2055-00-104-03	(-)13,39.75	(-)24.86
26.			2055-00-109-04	(-)44.64	(+)29.11

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

27.			2055-00-109-03	(+)15,56.55	(+)14.49
28.			2055-00-800-04	(+)65.69	(+) 40.99
29.			4055-00-800-01	(-) 78.91	(-) 1,22.58
30.	11	शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-102-01	(-) 8,54.72	(+) 5,14.12
31.			2202-01-101-01	(+) 48,07.87	(+) 10.00
32.			2202-01-101-04	(-) 11.04	(+) 4,65.43
33.			2202-01-102-07	(+) 5,00.00	(+) 7,65.01
34.			2202-02-101-04	(+) 352.57	(-) 76.46
35.			2202-02-109-03	(+) 53,44.41	(+) 22.28
36.			2202-02-109-07	(+) 87.39	(-) 14.55
37.			2202-02-001-03	(-)1,80.18	(-) 28.72
38.			2202-02-101-03	(-) 2,39.96	(-) 46.10
39.			2202-02-101-04	(-) 9.82	(+) 1,00.67
40.			2202-02-109-05	(-) 3,14.15	(+) 22.51
41.			2202-02-109-11	(-) 1,90.81	(-) 10.53
42.			2202-02-110-03	(-) 32,61.57	(+) 8,90.18
43.			2202-03-102-03	(-) 7,75.91	(+) 1,50.40
44.			2202-03-103-03	(-) 9,41.96	(+) 15.94
45.			2202-03-800-01	(-)5.01	(-)66.77
46.			2202-80-003-01	(-)107.15	(-)72.69
47.			2202-80-003-03	(-) 33.21	(-)10.37
48.			2203-00-104-03	(-) 50.00	(+) 61.98
49.			2203-00-105-03	(-) 4,63.87	(-) 41.05
50.			2203-00-112-03	(-) 83.00	(+) 50.00
51.			2203-00-800-03	(-) 15.40	(+) 42.99
52.			4202-01-202-11	(-) 29,73.22	(-) 1,44.41
53.			4202-02-104-07	(-) 25.00	(-) 25.00
54.			4202-02-104-11	(-) 25.00	(-) 25.00
55.			4202-01-104-03	(+) 50.00	(+) 50.00
56.	12	विकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-02-101-03	(+) 21.00	(-) 22.13
57.			2210-02-101-08	(+) 1,05.00	(-) 1,06.07
58.			4210-05-101-06	(-)1,26.00	(-)1,09.78
59.	13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2217-03-191-03	(-) 1,50.00	(-) 3,34.49
60.			2217-80-001-03	(-) 10.60	(+) 83.56
61.			2217-03-191-03	(-) 150.00	(+) 225.51

62.	14	सूचना	2220-60-101-05	(-) 3,56.08	(-) 87.91
63.	15	कल्याण	2235-02-102-01	(+) 14,50.10	(-) 31,89.84
64.			2235-02-102-07	(+) 41.10	(-) 32.64
65.			2235-60-102-05	(-) 41.10	(-) 50.73
66.			2235-60-200-03	(-) 4,30.60	(+) 11.49
67.	17	कृषि कार्य एवं शोध	2401-00-103-01	(+) 9,78.42	(-) 22.28
68.			2401-00-110-01	(-) 2,39.42	(+) 22.30
69.	19	ग्राम्य विकास	2515-00-800-08	(-) 3,03.78	(+) 1,97.61
70.			2515-00-102-03	(-) 1,88.25	(+) 4,05.85
71.	20	सिंचाई एवं बाढ़	4700-04-800-02	(-) 4,79.86	(-) 59.65
72.			4700-05-800-01	(-) 25,16.98	(-) 41,66.55
73.			4700-07-800-02	(-) 1,21.44	(+) 54.39
74.			4700-06-800-02	(+) 3,98.08	(+) 1,31.71
75.	21	ऋर्जा	4801-01-190-05	(-) 8,50.00	(-) 76,50.00
76.	22	लोक निर्माण	4059-80-800-09	(+) 1,50.00	(-) 1,24.89
77.	23	उद्योग	2851-00-103-07	(-) 15.00	(-) 30.00
78.	24	परिवहन	5055-00-050-07	(-) 38.60	(-) 11.40
79.	25	खाद्य	2408-01-001-03	(-) 4,67.15	(-) 11.16
80.	27	वन	2406-01-001-03	(+) 4,00.50	(+) 10,10.86
81.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	2202-02-109-02	(+) 60.68	(-) 66.88
82.			2225-01-277-06	(-) 11.90	(-) 73.07
83.			2225-01-277-91	(+) 45.56	(-) 65.92
84.			2401-00-102-02	(+) 44.21	(-) 1,05.67
85.			4700-04-800-02	(-) 1,00.00	(+) 19.69
86.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	4225-02-800-05	(-) 50.00	(-) 1,89.87

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ-41)

वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए पर्यास अभ्यर्पण

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान/विनियोग (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का प्रतिशत
1.	02-राज्यपाल	2012-03-800-05	2.00	2.00	100.00
		2012-03-800-06	0.91	0.91	100.00
2.	03-मंत्री परिषद	2013-00-101-04	8.80	4.79	54.43
3.		2013-00-105-04	50.00	50.00	100.00
4.	04- न्याय प्रशासन	2014-00-800-09	129.03	111.42	86.35
5.	05- निर्वाचन	2015-00-106-05	45.10	41.18	91.31
6.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4059-60-051-09	200.00	115.47	57.74
7.	07- वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2040-00-001-05	14.10	8.20	58.16
8.		2040-00-800-05	500.00	396.10	79.22
9.		2054-00-095-01	255.00	224.59	88.07
10.		3454-02-001-01	270.05	268.08	99.27
11.	09- लोक सेवा आयोग	4059-60-051-03	631.33	336.87	53.36
12.	11 शिक्षा, फिडा, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-01-102-01	1025.00	854.72	83.39
13.		2202-02-107-01	3.44	2.04	59.30
14.		2202-02-107-05	2.60	2.35	90.38
15.		2202-02-107-07	1.80	1.71	95.00
16.		2202-02-110-04	207.20	157.06	75.80
17.		2202-02-800-01	11804.75	9251.03	78.37
18.		2202-02-800-09	275.00	169.03	61.47
19.		2202-03-800-04	6.00	5.60	93.33
20.		2202-05-102-04	107.81	95.81	88.87
21.		2202-05-102-07	10.00	5.40	54.00
22.		2202-05-102-11	50.00	34.75	69.50
23.		2202-05-102-13	86.81	73.01	84.10
24.		2203-00-800-97	2000.00	1975.00	98.75
25.		2204-00-104-03	10.00	9.85	98.50
26.		2204-00-104-07	21.00	20.00	95.24
27.		2204-00-104-12	30.00	24.00	80.00
28.		2204-00-104-24	5.00	3.56	71.20
29.		2205-00-102-01	12.75	12.63	99.06
30.		2205-00-102-12	10.00	7.12	71.20
31.		2205-00-102-36	10.00	7.00	70.00
32.		4202-01-202-16	1000.00	900.00	90.00
33.		4202-01-202-19	200.00	149.43	74.72
34.		4202-01-202-22	500.00	470.00	94.00
35.		4202-02-104-05	50.00	25.00	50.00
36.		4202-02-105-03	100.00	69.25	69.25
37.		4202-03-102-04	100.00	71.68	71.68
38.		4202-04-106-03	300.00	223.30	74.43
39.	13- जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2217-03-191-03	264.01	150.00	56.82
40.	14-सूचना	2220-60-800-06	5.00	4.66	93.20
41.		4059-60-051-03	50.00	50.00	100.00

42.	17-कृषि कार्य एवं शोध	2415-80-120-05	1100.00	817.10	74.28
43.	19- ग्राम्य विकास	2515-00-102-09	254.10	154.10	60.56
44.		2515-00-102-13	1.00	1.00	100.00
45.		2515-00-102-14	5.00	5.00	100.00
46.		2515-00-102-19	1540.00	1540.00	100.00
47.		4515-00-102-01	20.00	20.00	100.00
48.		4515-00-102-04	50.00	50.00	100.00
49.	20- सिंचाई एवं बाढ़	4701-80-800-04	60.00	30.00	50.00
50.	24-परिवहन	5053-02-800-99	500.00	400.00	80.00
51.	28- पशुपालन	2404-00-102-01	636.96	318.48	50.00
52.		2404-00-102-91	34.06	18.55	54.47
53.		2404-00-800-01	22.50	21.29	94.62
54.		2404-00-102-08	50.00	50.00	100.00
55.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2205-00-102-02	70.00	45.81	65.44
56.		4202-02-104-02	250.00	242.74	97.10
57.		4515-00-102-91	400.00	237.80	59.45
58.		4700-04-800-02	125.00	100.00	80.00
59.		4700-06-800-02	150.00	90.00	60.00
60.		4711-01-103-02	500.00	320.02	64.00
61.		4202-03-102-03	25	25	100
62.		6801-05-796-91	105.00	68.79	65.51
योग			26253.11	20940.28	

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 41)

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹50 लाख या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	01-विधानमण्डल	20.11	3.63	3.67	0.04
2.	08-आबकारी	9.99	1.25	1.43	0.18
3.	11- शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति	3238.49	176.02	193.48	17.46
राजस्व-प्रभारित					
1.	04-न्याय प्रशासन	28.75	13.49	13.76	0.27
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	04-न्याय प्रशासन	22.00	3.86	3.92	0.06
2.	19- ग्राम्य विकास	71.35	13.20	13.36	0.16
योग		3390.69	211.45	229.62	18.17

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 41)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

I – अनुदान			
क्रम सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
1.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	124.39
2.	22	लोक निर्माण (राजस्व-दत्तमत)	34.94
3.	23	उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	11.54
4.	26	पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	29.84
5.	27	वन(राजस्व-दत्तमत)	30.76
योग			231.47
1.	7	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-प्रभारित)	140.75
योग			140.75
महायोग			372.22

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 41)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
1.	04-न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	29.91	23.65	6.26
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	29.52	10.55	18.97
3.	06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (पूँजीगत-दत्तमत)	43.93	1.15	42.78
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-दत्तमत)	106.34	60.10	46.24
5.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ(पूँजीगत-दत्तमत)	8.78	3.23	5.55
6.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ(पूँजीगत-प्रभारित)	119.29	99.20	20.09
7.	10-पुलिस एवं कारागार (राजस्व-दत्तमत)	9.25	6.63	2.62
8.	10- पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत-दत्तमत)	4.12	0.79	3.33
9.	11-शिक्षा,क्रीड़ा,युवा कल्याण एवं संस्कृति (पूँजीगत-दत्तमत)	60.20	56.89	3.31
10.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	62.52	0.01	62.51
11.	13-जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (राजस्व-दत्तमत)	372.80	1.65	371.15
12.	14-सूचना (राजस्व-दत्तमत)	3.30	2.41	0.89
13.	15-कल्याण(राजस्व-दत्तमत)	83.72	4.31	79.41
14.	15- कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	13.74	1.50	12.24
15.	16-श्रम एवं रोजगार (राजस्व-दत्तमत)	12.08	1.55	10.53
16.	17-कृषि कार्य एवं शोध (राजस्व-दत्तमत)	82.71	22.31	60.40
17.	19-ग्राम्य विकास (राजस्व-दत्तमत)	75.22	39.98	35.24
18.	21- ऊर्जा (पूँजीगत-दत्तमत)	286.69	215.96	70.73
19.	24-परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	2.51	1.30	1.21
20.	24-परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	8.12	6.29	1.83
21.	25-खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	7.27	5.97	1.30
22.	28-पशुपालन (राजस्व-दत्तमत)	15.53	5.50	10.03
23.	28- पशुपालन (पूँजीगत-दत्तमत)	2.92	0.78	2.14
24.	29-ठान विकास (राजस्व-दत्तमत)	1.61	0.32	1.29
25.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	96.20	17.27	78.93
26.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	118.11	60.63	57.48
27.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	44.21	7.01	37.20
28.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (पूँजीगत-दत्तमत)	43.64	12.17	31.47
योग		1744.24	669.11	1075.13

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 41)

30/31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अन्वर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अन्वर्पण राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	04	2014-न्याय प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	23.65	24
2.	04	2014- न्याय प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	13.76	48
3.	07	2040-बिहारी, व्यापार आदि पर कर (राजस्व दत्तमत)	14.82	23
4.	11	2202-सामान्य शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	225.76	07
5.	11	4202-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय (राजस्व दत्तमत)	48.50	30
6.	19	2501-ग्राम्य विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (राजस्व दत्तमत)	10.71	14
7.	19	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम (राजस्व दत्तमत)	28.26	19
8.	19	4515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय (राजस्व दत्तमत)	13.35	19
9.	21	4801- वियुत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय (राजस्व दत्तमत)	23.75	08
योग			402.56	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ 42)

व्यय की तीव्रता

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/सेवा	जनवरी-मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्ययके दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2011	मार्च 2011
1.	2014	20.60	9.43	68.87	30	14
2.	2029	23.45	8.78	101.45	23	9
3.	2030	14.19	11.30	27.18	52	42
4.	2040	13.68	8.00	46.15	30	17
5.	2049	597.94	414.85	1479.58	40	28
6.	2052	14.68	6.97	69.37	21	10
7.	2053	17.50	7.40	64.65	27	11
8.	2055	137.04	58.22	602.80	23	10
9.	2059	53.46	18.63	242.17	22	8
10.	2071	243.88	68.85	1142.96	21	6
11.	2202	785.20	403.78	3061.92	26	13
12.	2203	31.24	19.82	72.24	43	27
13.	2204	10.64	4.84	31.37	34	15
14.	2210	160.70	90.04	554.14	29	16
15.	2211	15.33	6.43	60.96	25	11
16.	2215	178.13	163.16	380.61	47	43
17.	2217	56.16	35.66	129.29	43	28
18.	2220	18.28	9.72	37.39	49	26
19.	2225	42.30	16.48	166.67	25	10
20.	2230	23.24	14.35	55.75	42	26
21.	2235	110.58	50.18	410.73	27	12
22.	2245	12.88	2.07	165.51	8	1
23.	2401	84.11	40.07	337.02	25	12
24.	2402	1.14	0.71	1.90	60	37
25.	2403	21.26	5.81	81.03	26	7
26.	2406	75.70	38.03	290.35	26	13
27.	2501	59.79	29.64	84.86	70	35
28.	2515	62.58	37.06	370.19	17	10
29.	2700	41.57	19.79	202.83	20	10
30.	2701	15.74	9.90	35.13	45	28
31.	2702	25.37	18.51	69.40	37	27
32.	2851	14.70	8.48	37.82	39	22
33.	3054	54.91	45.31	101.29	54	45
34.	3604	207.49	172.83	407.68	51	42
35.	4059	40.72	27.68	89.96	45	31
36.	4202	91.25	62.35	121.37	75	51
37.	4210	35.19	22.45	67.75	52	33
38.	4216	14.74	9.08	27.25	54	33
39.	4225	8.37	7.72	8.37	100	92
40.	4401	34.77	31.79	46.62	75	68

41.	4406	10.66	10.24	16.47	65	62
42.	4408	501.99	160.17	1210.09	41	13
43.	4425	0.76	0.76	0.76	100	100
44.	4515	15.40	14.60	91.82	17	16
45.	4700	81.66	49.05	236.63	35	21
46.	4701	1.80	1.05	2.11	85	50
47.	4702	143.98	96.45	200.40	72	48
48.	4711	15.64	13.53	20.63	76	66
49.	4801	19.60	19.60	56.71	35	35
50.	4851	1.93	1.63	3.15	61	52
51.	5054	360.43	236.63	968.72	37	24
52.	5452	25.16	24.46	57.52	44	43

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1 ; पृष्ठ- 43)

वर्ष 2010-11 तक के अनिर्णीत डी. सी. सी. बिल
(30 सितम्बर 2011 को स्थिति)

विभाग	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
(₹ लाख में)		
सचिव, शिक्षा एवं युवा कल्याण	110	1030.05
मुख्य कृषि अधिकारी	11	964.93
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18	698.47
सचिव, पशुपालन	37	31.83
जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड	4	5.43
जिला कार्यक्रम अधिकारी	23	247.43
जिला विकास अधिकारी	6	0.26
जिला समाज कल्याण अधिकारी	7	8.50
जिला उद्यान अधिकारी	4	0.28
सचिव, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	71	4154.08
सहायक निदेशक, मत्स्य	21	6.66
सचिव, घन	6	0.75
सचिव, लोक निर्माण विभाग	4	190.39
अन्य	35	353.71
योग	357	7692.77

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.2 ; पृष्ठ 52)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
----------	---------------	-----------------------------------	---	--

सिंचाई विभाग:

1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुडकी	2009-10	1.89	-
----	-------------------------------	---------	------	---

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

2.	आर. एफ. सी. हल्द्वानी	2002-03	-	
3.	आर. एफ. सी. देहरादून	2002-03	-	

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 52)

दुर्विनियोग, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामले जिनमें मार्च 2011 के अन्त में
अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्रम सं.	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						
		5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष या अधिक	कुल मामलों की संख्या
1.	शिक्षा	03	--	--	--	--	--	03
2.	एकीकृत शिशु विकास योजना	01	--	--	--	--	--	01
3.	पर्यटन	01	--	--	--	--	--	01
4.	चिकित्सा	01	--	--	--	--	--	01
5.	सामाजिक कल्याण	03	--	--	--	--	--	03
6.	पशुपालन	02	--	--	--	--	--	02
7.	कृषि	01	--	--	--	--	--	01
8.	ग्राम्य विकास	02	--	--	--	--	--	02
योग		14	--	--	--	--	--	14

परिशेष-3.3

(संदर्भ: प्रस्तरा 3.3; पृष्ठ- 52)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सम्पत्ति की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
शिक्षा	01	2.33	03	48.22	04	50.55
एकीकृत शिशु विकास योजना	--	--	01	0.52	01	0.52
पर्यटन	--	--	01	1.78	01	1.78
चिकित्सा	--	--	01	11.96	01	11.96
सामाजिक कल्याण	--	--	03	84.31	03	84.31
पशुपालन	--	--	02	144.49	02	144.49
कृषि	--	--	01	14.11	01	14.11
ग्राम्य विकास	--	--	02	10.58	02	10.58
लोक निर्माण विभाग	01	1.80	--	--	01	1.80
योग	02	4.13	14	315.97	16	320.10

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत ऑकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय ऑकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सङ्केत इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के ऑकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर

		दुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए वशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण - -सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेतर प्रासियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियों बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्रासियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्रासियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणेतर प्रासियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।